



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

तमंचा, कारतूस सहित एक अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक:-07.09.2021

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा जनपद सीतापुर में अपराध नियंत्रण हेतु जनपद पुलिस को सघन चेकिंग के लिये निर्देशित किया गया है।

उक्त आदेश के अनुपालन के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना रामकोट पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त अरविन्द पाल पुत्र ओमप्रकाश निवासी बरियारपुर मजरा रस्योरा थाना रामकोट जनपद सीतापुर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से 01 अदद अवैध तमंचा व 02 कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है। उक्त बरामदगी के संबंध में मु0अ0सं0 319/21 धारा 25(1-B) आर्म्स एक्ट अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया है। जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध निरंतर कार्यवाही इसी प्रकार चलती रहेगी।

अभियुक्त का नाम/पता-

- अरविन्द पाल पुत्र ओमप्रकाश निवासी बरियारपुर मजरा रस्योरा थाना रामकोट जनपद सीतापुर

पंजीकृत अभियोग -

- मु0अ0सं0 319/2021 धारा 25 (1-B) आर्म्स एक्ट थाना रामकोट जनपद सीतापुर

बरामदगी-

- 01 अदद अवैध तमंचा व 02 कारतूस 315 बोर

पुलिस टीम थाना रामकोट -

1. उ0नि0 श्री देवेन्द्र नाथ पटेल
2. का0 विशेष प्रताप सिंह
3. का0 रवि रावत

